भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2303
दिनांक 06 अगस्त, 2024 / 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

†2303. श्री मनोज तिवारीः
श्री महेंद्र सिंह सोलंकीः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से अब तक सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए) के अंतर्गत उत्तर-पूर्व क्षेत्र के हिस्सों में कितनी कमी आई है; और

(ख) वर्ष 2014 से अब तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हिंसा और मौतों में कितनी कमी आई है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 'अशांत क्षेत्रों' में काफी कमी आई है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों से इस अधिनियम को हटा दिया गया है:

(i) त्रिपुरा : दिनांक 27.05.2015 से पूर्णतया हटा दिया गया
(ii) मेघालय: दिनांक 1.04.2018 से पूर्णतया हटा दिया गया
(iii) असम: 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों से पूर्णतया हटा दिया गया
(iv) अरूणाचल प्रदेश : क्रमश: हटाया गया और अब केवल नामसाई जिले के 3 थाना क्षेत्रों तथा 3 अन्य जिलों अर्थात् तिरप, चांगलांग व लोंगडिंग में लागू है
(v) मणिपुर: 7 जिलों के 19 थाना क्षेत्रों से हटा दिया गया
(vi) नागालैंड: आंशिक रूप से हटाया गया और अब केवल 8 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 थाना क्षेत्रों में लागू है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2303,दिनांक 6.8.2024

(ख): वर्ष 2014 से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2023 में विद्रोह की घटनाओं में 71% की कमी, सुरक्षा बलों के कर्मियों की मृत्यु की संख्या में 60% की कमी और आम नागरिकों की मृत्यु में 82% की कमी आई है।

*****